

कार्यालय संयुक्त निदेशक अभियोजन जनपद सीतापुर।

पत्र सं०: स०नि०३०/वै०प०अशोक/170 /2019

दिनांक: 30 अगस्त, 2019

// कार्यमुक्ति आदेश //


उ०प्र० शासन के कार्यालय झाप सं०-2675(II)/छ:-पु०-9-18-31(120)/17 दिनांक 29, अगस्त 2019 तथा अभियोजन निदेशालय उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक एक-दो-136-99(143)/4550/2019 दिनांक 30 अगस्त 2019 द्वारा श्री अशोक कुमार यादव, अभियोजन अधिकारी, सीतापुर को उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा में चयनोपरांत, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जौनपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभियोजन अधिकारी के पद पर धारणाधिकार बनाये रखते हुये, कार्यमुक्त किये जाने की रवीकृत प्रदान की गयी है।


अतः उपरोक्त आदेश के अनुपालन में श्री अशोक कुमार यादव, अभियोजन अधिकारी, सीतापुर को इस कार्यालय से आज दिनांक 30, अगस्त 2019 के अपरान्ह में कार्यमुक्त किया जाता है।

(लाल चन्द्र प्रसाद गुप्ता)  
प्र.संयुक्त निदेशक अभियोजन,  
सीतापुर।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

- 1—माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद जौनपुर, उ०प्र०।
- 2— अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3— महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, द्वितीय, इलाहाबाद।
- 4— जिलाधिकारी, सीतापुर।
- 5— अपर निदेशक अभियोजन लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ।
- 6— वरिष्ठ कोषाधिकारी, सीतापुर।
- 7— संबंधित अधिकारी को।
- 8— कार्यालय प्रयोगार्थ।

  
प्र.संयुक्त निदेशक अभियोजन,  
जनपद सीतापुर।

Self attested  
  
(ASHOK KUMAR YADAV-IV)